न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18.10.2023	पत्रावली आज़ पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। प्रकरण मे पटवारी हल्का मउ से चाही गई मृत्तक सुण्डाराम पुत्र बीजा के विधिक वारिसान् की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीया ने सरपंच ग्राम पंचायत नांगल भीम का प्रमाण पत्र भी पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादिया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने व साक्ष्य वादीया हो जाने एंव पटवारी हल्का मउ से फर्द मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वादपत्र को बहस में लिये जाने का निवेदन किये जाने पर वादपत्र को बहस में लिया गया। वकील वादीया के निवेदन पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 23.10.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
23.10.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 2023	2023 / 03	04.01.2023	23.10.2023

उनवान प्रकरण

घोठी देवी पुत्री स्व. सुण्डाराम पत्नी बन्नाराम उम्र 67 साल जाति जाट निवासी ढाणी श्यामसिंह की तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हाल निवासी वार्ड नम्बर–18 घसीपुरा–कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

–वादीया–

बनाम्

1–दीपचन्द आयु साल

2–गोदाराम आयु साल

पुत्रगण स्व. सुण्डाराम

जाति जाट निवासी ढाणी श्यामसिंह की तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

3–उप पंजियक तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

4–पटवारी हल्का मउ तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

5–भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादीया अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से।

23/10/23

(दिलीप सिंह) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ, भू. अभि. नि. मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1337, 1338, 1340 कुल किता–3 कुल रक्बा 1.1600 हैक्टर में हिस्सा 3/8 एवं खसरा नम्बर 1345, 1346 कुल किता–2 कुल रक्बा 1.1200 हैक्टर में हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 1125, 1126, 1127, 1128, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 943, 944, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 952 कुल किता–21 कुल रक्बा 7.6000 हैक्टर में हिस्सा 1/8 एवं खसरा नम्बर 1344 रक्बा 0.2700 हैक्टर में हिस्सा 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 के पिता स्वर्गीय सुण्डाराम पुत्र बींजा के नाम दर्ज है। वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। सजरा खानदान के अनुसार कृर्षि भूमियों में स्वर्गीय सुण्डाराम पुत्र बींजा के नाम दर्ज हक हिस्सा की खातेदारी भूमियां [illegible] प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की पैत्रिक कृर्षि भूमियां जिसमें वादिया का सजरा खानदान के अनुसार 1/3 हिस्सा पैत्रिक हिस्सा है। जिसकी खातेदारी वादिया अपने नाम दर्ज करवाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अधिकारी है एवं कृषि भूमियों मे स्वर्गीय सुण्डाराम पुत्र बींजा के नाम दर्ज हक हिस्सा की खातेदारी भूमियों पर वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 बहिस्सा बराबर बराबर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादिया दर्ज करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 ने आपस में मिलकर एक नाजायज संगठन बना रखा है जो आये दिन वादिया की पैत्रिक हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमियों में मजाहमत करते रहते है एवं काश्त कार्य में व्यवधान पैदा करते रहते है एवं कृषि भूमियों का अकेलो के नाम राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवाकर भूमियों को दिगर को विक्रय रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा करवाकर कृषि भूमियों को अकृषि भूमि में परिवर्तन करवाने पर उतारू है जिसका प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 को कोई अधिकार किसी किश्म का नही है। इसलिए वादिया प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारी है। वादिया को प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 ने दिनांक 25–12–2022 को धमकी दी है कि वादिया को उसकी हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करके रहेगे एवं जबरन कब्जा करके रहेगे एवं भूमि का राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवाकर दिगर को विक्रय रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा करवाकर कृषि भूमियों को अकृषि भूमि में परिवर्तन करवाकर रहेगे एवं वादिया को उसकी पैत्रिक हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमियों से बेदखल करवाकर महरूम कर देंगे। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादिया ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादिया का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि—

राजस्व ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1337, 1338, 1340 कुल किता—3 कुल रकबा 1.1600 हैक्टर में हिस्सा 3/8 एवं खसरा नम्बर 1345, 1346 कुल किता—2 कुल रकबा 1.1200 हैक्टर में हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 1125, 1126, 1127, 1128, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 943, 944, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 952 कुल किता—21 कुल रकबा 7.6000 हैक्टर में हिस्सा 1/8 एवं खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.2700 हैक्टर में हिस्सा 1/2 हिस्सा की खातेदारी जो वादिया व प्रतिवादी संख्या—1 ता 2 के पिता स्वर्गीय सुण्डाराम पुत्र बींजा के नाम दर्ज है उसमें वादिया को उसके पैत्रिक हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं बाकी 2/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 व 2 के नाम दर्ज की जाकर उक्त हिस्सों की खातेदारी से मृतक सुण्डाराम पुत्र बींजा का नाम हजफ किया जावे एवं बाकी सह खातेदारान की खातेदारी बदस्तूर रखी जावे। प्रतिवादी संख्या—1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त पैत्रिक कृषि भूमि में वादिया की हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही जबरन कब्जा करे [illegible] काश्त कार्य में किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

का व्यवधान पैदा करे एवं ना ही ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करने बावत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीया में वादीया के मुख्य परीक्षण में वादीया घोटी देवी पुत्री सुण्डाराम व वादीया के साक्ष्य गवाह में खेताराम पुत्र मोतीराम लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। वकील वादीया ने वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर सजरा खानदान में सुण्डाराम पुत्र बींजा का दिनांक 02.11.2010 को फौत होने पर मृत्तक सुण्डाराम पुत्र बींजा के विधिक वारिसान् की जॉच पटवारी हल्का मउ से करवाई गई। जिस पर पटवारी हल्का मउ ने अपनी रिपोर्ट में मृत्तक सुण्डाराम पुत्र बींजा जाति जाट निवासी ढ़ाणी डेरावाली तन् नांगल भीम के विधिक वारिसान में केशरी देवी पत्नी के फौत होना व दीपचन्द, गोदाराम, रामनाथ पुत्रगण व घोठी देवी पुत्री होना अवगत कराते हुए [illegible]नाथ पुत्र को लापता होना तथा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वारिसान के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नही होना अवगत कराया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने एंव पटवारी हल्का मउ से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीया की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीया द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दीयॉ कुल चार, शपथ पत्र बाबत वारिसान, मृत्यु प्रमाण पत्र सुण्डाराम, केशरी देवी, मौका जॉच रिपोर्ट वार्ड पंच व वारिस प्रमाण पत्र द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत नांगल भीम व मौका जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का मउ, साक्ष्य वादीया के मुख्य परीक्षण में पेश वादीया व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 1337, 1338, 1340 कुल किता–3 कुल रक्बा 1.1600 हैक्टर व खसरा नम्बर 1345, 1346 कुल किता–2 कुल रक्बा 1.1200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1125, 1126, 1127, 1128, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 943, 944, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 952 कुल किता–21 कुल रक्बा 7.6000 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 13[illegible] रक्बा 0.2700 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 के पिता स्वर्गीय सुण्डाराम पुत्र बीजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसमें खातेदार के मृत्तक होने से वादिया व प्रतिवादीगण की उक्त भूमियॉ पैत्रृक भूमियॉ होना प्रकट होती है। पटवारी हल्का मउ की फर्द मौका वारिसान् जॉच रिपोर्ट में मृत्तक सुण्डाराम के वारिसान् में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त एक ओर पुत्र रामनाथ को भी वारिस बताते हुए उसको लापता होना बताया गया है, वही सरपंच ग्राम पचांयत नागंल भीम ने उक्त रामनाथ को मृत्तक सुण्डाराम को विधिक वारिस बताते हुए उक्त रामनाथ को पिछले 30–40 वर्ष से लापता होना अवगत कराया है। जिनसे मृत्तक सुण्डाराम के वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा रामनाथ को भी वैधानिक वारिसान् की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा। जबकि वादिया द्वारा मृत्तक सुण्डाराम के विधिक वारिसान् मे रामनाथ पुत्र को वारिस दर्ज नहीं किया गया है केवल मात्र वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को ही सजरा खानदान में विधिक वारिस होना अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में मृत्तक सुण्डाराम के विधिक वारिस पुत्र रामनाथ को भी पक्षकारान् वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के साथ–साथ उक्त भूमियों में उनके हक हिस्से तक उक्त भूमियों के पक्षकारान् की पैत्रिक भूमियॉ होने से उनको वैधानिक हक हिस्से में मिलने वाले हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्राकृतिक न्याय की भावना को मध्यनजर र[illegible] हुए [illegible] की उदघोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। [illegible] की साक्ष्य वादीया के मुख्य परीक्षण में वादीया घोटी देवी पुत्री सुण्डारा[illegible] वादीया के साक्ष्य गवाह में खेताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीनाधोपुर (नीमकाथाना)

पुत्र मोतीराम के लिखितशुदा शपथ पत्रों से वादिया के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को बल मिलता है। वादीया को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त कृषि भूमियॉं खसरा नम्बर 1337, 1338, 1340 कुल किता–3 कुल रक्बा 1.1600 हैक्टर व खसरा नम्बर 1345, 1346 कुल किता–2 कुल रक्बा 1.1200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1125, 1126, 1127, 1128, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 943, 944, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 952 कुल किता–21 कुल रक्बा 7.6000 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1344 रक्बा 0.2700 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मृत्तक सुण्डाराम पुत्र बींजा के नाम दर्ज हिस्सों में वादीया को हिस्सा 1/4 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं बाकी 3/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 दीपचन्द पुत्र स्व0 सुण्डाराम, प्रतिवादी नम्बर 2 गोदाराम पुत्र स्व0 सुण्डाराम एंव रामनाथ पुत्र स्व0 सुण्डाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाकर उक्त हिस्से की खातेदारी से मृत्तक सुण्डाराम पुत्र बींजा का नाम हजफ किया जावे एंव बाकी सह खातेदारान् की खातेदारी बदरस्तूर जमाबन्दी रखी जावें। तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीया की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:24 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)